

कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-4डी(1)/म०आ०/६२९/२०२३/

लखनऊ: दिनांक: १० / ११ / २०२३

// कार्यालय ज्ञाप //

स्व० शिल्पी देवी, उपचारिका, 200 शैय्या एम०सी०एच० विंग, लखीमपुर खीरी की मृत्यु दिनांक 17. 08.2023 को सेवाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित पति श्री अरुण कुमार की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में मृतक आश्रितों की भर्ती सेवा-नियमावली 1974, यथा संशोधित अधिनियम, ३०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-४ के पत्रावली सं-०५-४०९९/९०१/२०२२-४-१/३६८६४७/२०२३, दिनांक 14.०८.२०२३ के क्रम में एवं कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-VI (II), दिनांक 27.1.2.2022, द्वारा प्राप्त्यापित “उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (तिहरवां संशोधन) नियमावली २०२२” में निहित प्राविधिक के अन्तर्गत निदेशक (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के अग्रसारण पत्र संख्या-१९फ/११६-एन/२०२२/३७६०, दिनांक 27.10.2023 के साथ प्राप्त नियंत्रक अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 200 शैय्या एम०सी०एच० विंग, लखीमपुर खीरी की संस्तुति पत्र संख्या-म०चि०अधी०/एम०सी०एच०/म०आ०/अरुण कुमार/२०२३-२४/२०१, दिनांक ०९.१०.२०२३ एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखीमपुर खीरी में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन बैंड रु० ५२००-२०२०० एवं ग्रेड वेतन रु०-२०००/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-३) में समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तां सहित अस्थायी रूप में “उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-१९९४” के अन्तर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।
3. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होगी तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखीमपुर खीरी के समक्ष निम्नलिखित अभिलेख को प्रस्तुत करना होगा:-
 - (क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
 - (ख) अनिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भांति जानते हों किन्तु सम्बन्धी न हों।
- (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र।
- (ङ) संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
5. यह नियुक्ति उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तिहरवां संशोधन) नियमावली-२०२२, कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-VI (II), दिनांक 27.12.2022 में निहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रयालन और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रयालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रयालन में डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसासी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रयालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अद्यतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रयालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
6. यह नियुक्ति इस प्रतिबद्ध के साथ दी जाती है कि श्री अरुण कुमार पत्नी स्व० शिल्पी देवी, उपचारिका, 200 शैय्या एम०सी०एच० विंग, लखीमपुर खीरी अपने परिवार के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण एवं समुचित देखभाल करते रहेंगे। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
7. मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह सेवायोजन निष्प्रभावी माना जायेगा।

8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।
10. कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्री अरुण कुमार की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह सितम्बर 2024 के अंतिम कार्यदिवस में महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, जिस हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से लंबे लेते हुए टंकण परीक्षा की तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
11. स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
12. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल स्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि भविष्य में श्री अरुण कुमार द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्री अरुण कुमार के विरुद्ध कई कार्यवाही की जायेगी।
13. उक्त आदेश शासनादेश संख्या-343/71-3-2022-03/2019, दिनांक 06.12.2022 के द्वारा जिला चिकित्सालय (पुरुष/महिला)एम०सी०एच० विंग, लखीमपुर खीरी का विलय स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी में विलय होने के कारण निर्गत किये जा रहे हैं।

(डा० राजागणपति आर०)
आई०ए०एस०
निदेशक (प्रशासन)

संख्या-4डी(1)/मृ०आ०/६२९/२०२३/ 6088 - 6100 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ३०प्र० प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, ३०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-४
3. निदेशक (उपचारिका), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ३०प्र०, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ३०प्र०।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी।
6. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखीमपुर खीरी को अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या-०४, ०६, ०७, ०८, ०९ एवं ११ पर वांछित अभिलेख/आख्या समय-समय पर पूर्ण होने की स्थिति में उसकी एक-एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महानिदेशालय की मूल पत्रावली में रक्षित करवायें।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
11. श्री अरुण कुमार पत्नी स्व० शिल्पी देवी, उपचारिका, २०० शैय्या एम०सी०एच० विंग, लखीमपुर खीरी, निवासी-ग्राम-हेरवल, पोर्ट-पुरावां, थाना-मल्लावां, जनपद-हरदोई। (पंजीकृत डाक द्वारा)
12. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

(डा० रंजना खरे)

अपर निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)